



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून – 248006 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun - 248006 (Uttarakhand)

दूरभाष/Phone-0135-2523213/2523214/2523215/2523216, Email : hr@ujvnl.com, Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 27001:2013, 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 Certified

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन संख्या 109/UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1 Dated: 06/09/2023 के अनुक्रम में भेदान्ता-दी मेडिसिटी, सैक्टर-38, गुडगांव (हरियाणा) को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) के साथ सामान्य चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाहय रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 01.06.2025 से दिनांक 30.06.2027 तक (02) दो वर्ष के लिये मान्यता विस्तारित की जाती हैं :-

1. उक्त चिकित्सालय की संलग्न दर सूची में दर्शाई गई दरों पर 15 (पन्द्रह) प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
2. यूजेवीएन लिमिटेड के आदेश संख्या 1352 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) के अन्तर्गत होने वाले चिकित्सा व्यय को प्रारम्भ में आपात स्थिति की व्यवस्था हेतु राशि रू० 03 (तीन) लाख तक निगम हित में निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सीमित किया गया है।
 - a. सेवारत कार्मिकों को उपरोक्त राशि से अधिक व्यय होने पर अन्तर की राशि के सापेक्ष नियमानुसार चिकित्सा अग्रिम की सुविधा अनुमन्य होगी अथवा स्वयं वहन किये जाने की दशा में प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
 - b. सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनर (पत्नी) द्वारा अन्तर की राशि के चिकित्सा व्यय को स्वयं वहन किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
3. क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) को लागू किये जाने हेतु यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा अधिकतर सेवारत/ सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेंशनरों के हैल्थ कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं, जिस पर सम्बन्धित कार्मिक के साथ-साथ उसके आश्रित परिजनों का नाम, जन्म तिथि, कार्मिक से सम्बन्ध एवं फोटो अंकित हैं, को चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही उन्हें अपने सम्बन्धित कार्यालय से प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) निर्धारित प्रारूप में निर्गत करवा कर चिकित्सालय में 02 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) अनुमन्य नहीं होगी। हैल्थ कार्ड निर्गत न हो पाने वाले कार्मिक को सम्बन्धित कार्यालय से अपनी पहचान सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) निर्गत करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे। क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) में प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) सभी सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पारिवारिक पेंशनर सहित को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

उक्त प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) निर्गत किये जाने की व्यवस्था यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार होगी।


4. चिकित्सालय की निम्नलिखित बिंदुओं के अनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है:-
 - a मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।
 - b किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।
 - c दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।
 - d अस्पताल को पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
 - e अस्पताल के विरुद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायत आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।
5. उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगीं।

निदेशक (मा०सं०)

No. /UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन)/ (परियोजनाएं)/ (वित्त)/ (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद)/ (वि०/या०)/ (ओ०एण्डएम०)/ (वित्त)/ (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतू।
8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. श्री अभिजीत कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक-मार्केटिंग, मेदान्ता-दी मेडिसिटी, सैक्टर-38, गुडगांव (हरियाणा)।
12. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त यूनियन/एसोसिएशन।


(राजेश चन्द्र)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)